

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

कम्पेयर पॉलिसी इश्योरेंस वेब एग््रीगेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ संबंधित विवरण

1. कार्पोरेट देनदार का नाम	कम्पेयर पॉलिसी इश्योरेंस वेब एग््रीगेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2. कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	10 फरवरी 2015
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-नई दिल्ली कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत
4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74140DL2015PTC276540
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: भूतल, बी-50, और न्यू नं. वी-273, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली - 110096 कार्पोरेट कार्यालय (वेबसाइट के अनुसार): पहली मंजिल, डी-56, सेक्टर-2, नोएडा - 201301
6. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	06 सितंबर 2021 (आदेश की प्राप्ति की तिथि 10 सितंबर 2021)
7. ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	05 मार्च 2022 (दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 180वां दिन)
8. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	सांतनु कुमार सामंता पंजी. सं.: IBB/PA-002/PP-N00572/2017-2018/11739
9. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	सी-170, गोलक ब्यू अपार्टमेंट, साकेत, नई दिल्ली - 110017 ईमेल: santanukumar@yahoo.com
10. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	सी-170, गोलक ब्यू अपार्टमेंट, साकेत, नई दिल्ली - 110017 ईमेल: cirp.comparepolicy@gmail.com
11. दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	24 सितंबर 2021
12. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (8क) के पलौज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13. किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14. (क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है-	(क) वेबलिंग: https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीट-IV ने दिनांक 06 सितंबर 2021, को कम्पेयर पॉलिसी इश्योरेंस वेब एग््रीगेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

कम्पेयर पॉलिसी इश्योरेंस वेब एग््रीगेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 24 सितंबर 2021 को अथवा इसके पूर्व में अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार (लागू नहीं) जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए में (लागू नहीं) निर्दिष्ट करेगा।

दावों के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

दिनांक : 11.09.2021

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता / -

सांतनु कुमार सामंता

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, कम्पेयर पॉलिसी इश्योरेंस वेब एग््रीगेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण सं.: IBB/PA-001/PP-P-02324/2020-2021/13511

